न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-110RAAJodhpur2024-65RTA225 Rajuram Vs Prataparam etc

राजूराम पुत्र प्रतापाराम, जाति जाट, निवासी– जाटों का बास,
जाजीवाल भाटियान्, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. प्रतापाराम पुत्र हेमाराम,
2. ढगलाराम पुत्र प्रतापाराम
3. श्यामलाल पुत्र प्रतापाराम
4. तिलाराम पुत्र प्रतापाराम के कायम मुकामः–
   4.1. माधुराम पुत्र तिलाराम
   4.2. दिनेश पुत्र तिलाराम
   4.3. प्रेम पत्नी तिलाराम
   सभी जातियान् जाट, निवासीगण– जाटों का बास, जाजीवाल भाटियान् तहसील व जिला जोधपुर।
5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 12 मार्च 2023 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 राजूराम बनाम प्रतापराम इत्यादि

उपस्थित–
श्री बाबूलाल विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट
श्री मोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 05

नि र्ण य

दिनांक : 25 नवंबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 अनवान राजूराम बनाम प्रतापाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 मार्च 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 अप्रैल 2024 को प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 101, 198/1, 199, 200/1, 226, 261, 227 कुल रकबा 126 बीघा 12 बिस्वा ग्राम जाजीवाल भाटियान् तहसील जोधपुर के संबंध में धारा 88, 53 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत किया। वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर वाद के विचारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.07.2023 को अपीलांट के प्रथमदृष्टया मामला मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 मार्च 2024 के जरिये पूर्व पारित अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे नहीं बढाया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आदेश विधिविरूद्ध, उपलबध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने से अपास्त योग्य है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है तथा वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का जन्म से ही हक व अधिकार निहित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 13.07.2023 का अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी, उसके बाद दिनांक 12.03.2024 तक प्रकरण की परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आलौच्य आदेश पारित कर दिया। आलौच्य आदेश बिना सुनवाई पूर्ण रूपेण मनमाने तरीके से पारित किया गया है। प्रत्यर्थीगण की ओर से स्थगन आदेश आगे नहीं बढाये जाने बाबत् कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ, न ही किसी प्रकार की काई बहस सुनी गई, उसके बावजूद भी आदेश पारित कर दिया। हस्तगत प्रकरण में जो आदेश पारित किया गया है, उसमें अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई मत प्रकट नहीं किया है, न ही स्थगन आदेश आगे नहीं बढाये जाने का कोई कारण लिखा है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत न्यायालय आदेश पारित करने का कारण स्पष्ट करे। अगर तनकीयात कायम की जाती है तो उसका भी विवेचन करे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसा कुछ नही किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य अपीलाधीन आदेश दिनांक 12 मार्च 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं विवादित भूमि के मौके एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या के प्राकृतिक पिता का नाम जियाराम है। वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट संख्या एक को अपने प्राकृतिक पिता से प्राप्त नहीं हुई है। उक्त आराजी स्व. हेमाराम एवं उनकी पत्नी की सेवा चाकरी करने तथा उनकी पुत्रियों के सामाजिक रीति रिवाज अनुसार वार, त्योहार, विवाह, शादी, मायरे, आणे–टाणे आदि के खर्चे वहन करने पर स्व. हेमाराम जी अपने जीवन काल में ही रेस्पोडेंट संख्या एक को प्रदान की है। यह भी उल्लेखनीय है कि वादग्रस्त आराजीयात में सें 60 बीघा भूमि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अपीलांट एवं अन्य रेस्पोडेंट को बख्शीश की है तथा कुछ भूमि सड़क में अवाप्त होने पर मुआवजा राशि सभी पुत्रों को बराबर–बराबर दी है। अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को अनावश्यक परेशान व हैरान करने के उद्धेश्य से वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तत दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेंधाज्ञा को आगे नहीं बढाने का विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। उपलब्ध अभिलेख जमाबंदी संवतः 2061–2064 ग्राम जाजीवाल भाटियान तहसील जोधपुर के खाता संख्या नवीन 120 पुराना खाता संख्या 103 के मुताबिक वादग्रस्त आराजीयात खसरा नं. 101, 198/1, 199, 200/1, 226, 261, 227 कुल रकबा 126 बीघा 12 बिस्वा ग्राम जाजीवाल भाटियान् तहसील जोधपुर राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेंट संख्या एक प्रतापराम पि. हेमाराम के नाम से दर्ज रही है। उपलब्ध अभिलेख मुताबिक रेस्पोडेंटस संख्या एक द्वारा वादग्रस्त आराजियात में सें 60 बीघा भूमि अपीलांट सहित अपने चारों पुत्रों के नाम से बख्शीश किया जाना प्रतीत होता

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है, जिसकी पालना में नामांतरकरण संख्या 1042 दिनांक 14.06.2022 स्वीकृत किया जाना पाया जाता है।

वादग्रस्त आराजी अपीलांट की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि होने तथा उसमें उसका पुश्तैनी हिस्सा होने के तथ्य का निर्धारण विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में जरिये साक्ष्य सिद्ध होना है। रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा पूर्व से ही अपीलांट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी में सें 20 बीघा भूमि बख्शीश की जा चुकी है। रेस्पोडेंट संख्या एक बुजुर्ग व्यक्ति होने तथा उसकी जीविकोपार्जन का साधन वादग्रस्त कृषि भूमि ही होने से अदालत हाजा की राय मे रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट के पक्ष में नहीं पाये जाते है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में हस्क्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जोधपुर उत्तर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 53/2023 अनवान राजूराम बनाम प्रतापाराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 13 मार्च 2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर